P-1	R.M.M Law College Saharsa		
Manvendra Mandal part time Lecturer	प्रस्थापना proposal	Contract संविदा-1	Date 16.5.2020
	धारा-2(क)		

प्रस्थापना (Proposal) या प्रस्ताव (offer) — भारतीय संविदा अधिनियम का शब्द प्रस्थापना (Proposal) अंग्रेजी विधिशब्दावली प्रस्ताव (offer) का समानार्थी है। इसे हम 'प्रस्ताव' भी कहते हैं। यह किसी करार अथवा संविदा का प्रथम चरण है। इसका अर्थ है- एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से संविदा करने की इच्छा व्यक्त करना। इसका आशय यह है कि प्रस्थापना में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति जो प्रस्थापना या प्रस्ताव करता है, उसे प्रस्तावक या प्रस्थापक (offeror) तथा जिससे कि प्रस्थापना की जाती है उसे प्रस्तावग्रहीता (offeree) कहते हैं। सामान्यतया प्रस्थापना के अन्तर्गत प्रतिज्ञा अन्तर्निहित रहती है। प्रस्थापना ही प्रतिग्रहण अर्थात स्वीकृति को जन्म देती है। जब प्रस्थापना स्वीकृत हो जाता है तब वह प्रतिज्ञा (वचन) का रूप धारण कर लेता है। संविदा अधिनियम की धारा 2(क) में प्रस्थापना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- "जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रतिविरत रहने की अपनी तत्परता किसी दूसरे व्यक्ति से, इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि वह व्यक्ति उस बात को करने या उससे प्रतिविरत रहने की अपनी सहमति प्रदान करे तो उसे प्रस्थापना करना कहते हैं।" उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रस्थापना में-

1. एक व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने या प्रतिविरत रहने की इच्छा व्यक्त की जाती है
2. वह इच्छा किसी अन्य व्यक्ति से होना चाहिए न कि स्वयं से
3. जिसका एक मात्र उद्देश्य अन्य व्यक्ति का सहमति प्राप्त करना हो।

मान्य प्रस्थापना की विशेष शर्तें -

1. **प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए** — एक मान्य प्रतिज्ञा के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्थापना निश्चित हो ताकि पक्षकारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व अभिनिश्चित किये जा सके।

Scanned with CamScanner

एक अनिश्चित, सन्देहात्मक, भ्रमात्मक प्रस्थापना, प्रस्थापना नहीं होती जैसा कि निम्नलिखित वादों से स्पष्ट है-
गथिंग बनाम लिन के वाद में प्रतिवादी ने वादी से एक घोड़ा खरीदा तथा वचन दिया कि घोड़ा उसके लिए भाग्यशाली सिद्ध हुआ तो वह 5 पौंड अधिक देगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वचन अनिश्चित होने के कारण प्रवर्तनीय नहीं था।

(2) प्रस्थापना को विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए- संविदा के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों का समान आशय हो तथा 'प्रस्थापना' का इस प्रकृति का होना आवश्यक है कि उससे पक्षकारों के बीच विधिक दायित्व उत्पन्न हो। जहाँ किसी प्रस्थापना से विधिक सम्बन्धों की उत्पत्ति नहीं होती हो, वहाँ संविदा के प्रयोजन के लिए उसका कोई महत्व नहीं होगा।
डारलिम्पल बनाम डारलिम्पल के एक मामले में लार्ड स्टोवैल ने कहा है - "संविदा अवकाश के क्षणों का खेल नहीं होनी चाहिए। यह केवल आनन्द एवं हँसी मजाक का माध्यम भी नहीं होनी चाहिए, जिसके परिणामों की पक्षकारों द्वारा कभी अपेक्षा नहीं की गई हो। (Contract must not be sports of an idle hour, mere matters of pleasantry and badinage, never intended by the parties to have any serious effect what so ever - lord stowell) स्पष्ट है कि वैध संविदा के लिए पक्षकारों का विधिक दायित्व सृजित करने की इच्छा भी होनी चाहिए।
आँग्ल विधि के अनुसार भी संविदा के सृजन के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों का आपस में विधिक सम्बन्ध बनाने का आशय हो।

उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ प्रस्थापनाएँ ऐसी होती है जिनसे विधिक दायित्व का उद्भव न होकर मात्र सामाजिक अथवा नैतिक सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं, जैसे- भोजन के लिए आमंत्रित करना, फिल्म देखने के लिए बुलाना आदि। ऐसे मामलों में आमंत्रित किया गया व्यक्ति भोजन पर नहीं आता है

Scanned with CamScanner